

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-67/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० हेमन्त कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर का दिनांक-29.11.2022 से 09.01.2023 तक की प्रभार रहित अवधि एवं 14.01.2023 से 10.07.2023 तक उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के ज्ञापाक-692(25) दिनांक-27.03.2025 एव बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-29.11.2022 से 30.12.2022 तक	- कुल-32 (बत्तीस) दिन पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-31.12.2022 से 09.01.2023 तक	- कुल-10 (दस) दिन असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहिता के नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-14.01.2023 से 10.07.2023 तक	- कुल-178 (एक सौ अठत्तर) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में। (वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के ज्ञापाक-692(25) दिनांक-27.03.2025 एव बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एव 248 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-67/2025- 1002(2) पटना, दिनांक 14/5/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर/जिला कोषागार, पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० हेमन्त कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा, समस्तीपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. Kumar 13/5/26  
सरकार के उप सचिव

१